अध्याय I: सामान्य

1.1 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे

1.1.1 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी किये गये अनुदान तथा ऋण

संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों का अन्तर्विष्ट करते हुए निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों अथवा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। इन प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा की प्रकृति, वार्षिक लेखे के प्रमाणन के साथ-साथ धन के उचित उपयोग की लेखापरीक्षा है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय, जो मूलतः भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्तपोषित हैं, की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, उन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 14(2) के अंतर्गत कर सकते हैं, जिन्हें भारत की समेकित निधि से वार्षिक अनुदान अथवा ऋण ₹ एक करोड़ से कम नहीं है। इन प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा धन की उपयोगिता लेखापरीक्षा की प्रकृति में निहित है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 354 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (अधिनियम की धारा 19(2)/20(1)) के अधीन एकमात्र लेखापरीक्षक थे। 2011-12 के दौरान 222 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को ₹ 36247.97 करोड़ की राशि के अनुदान/ऋण दिये गये। शेष 132 निकायों के बारे में संबंधित मंत्रालयों द्वारा सूचना नहीं दी गयी थी **(परिशिष्ट-I)**।

329 अन्य केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, (अधिनियम की धारा 14(1)/14(2) के अधीन) जिनकी वित्तीय/प्रमाणन लेखापरीक्षा निजी लेखापरीक्षकों को दी गयी थी, की अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा करना भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, 2011-12 के दौरान, 236 निकायों को कुल ₹ 9572.32 करोड़ के अनुदान/ऋण दिये गये थे। शेष 93 निकायों के बारे में सूचना संबंधित मंत्रालय द्वारा नहीं दी गयी थी **(परिशिष्ट-II)**।

31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के दौरान सिविल मंत्रालयों/ विभागों को प्रदत्त सकल बजटीय सहायता में से सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को सहायता-अनुदान के रूप में जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता का हिस्सा 0.82 *प्रतिशत* से लेकर 0.93 *प्रतिशत* तक था, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	*वर्ष के दौरान के.स्वा.नि. को दी गयी कुल केन्द्रीय अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)*	सकल बजटीय सहायता[1] *(₹ करोड़ में)*	सकल बजटीय सहायता के संदर्भ में केन्द्रीय अनुदान के.स्वा.नि. की प्रतिशतता
2007-08	20057.54	2445865.08	0.82
2008-09	28397.88	3220867.31	0.88
2009-10	40495.41	4356312.43	0.93
2010-11	44857.68	4683838.77	0.96
2011-12	45805.03	4935556.56	0.93

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि कुल सकल बजटीय समर्थन के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को अनुदान के रूप में दी गयी केन्द्रीय सहायता की राशि ने वर्ष 2007-08 से 2010-11 के वर्षों में बढ़ोत्तरी दर्ज की जब यह वर्ष 2007-08 में 0.82 *प्रतिशत* से वर्ष 2010-11 में 0.96 प्रतिशत तक हो गयी थी। तथापि, वर्ष 2011-12 में यह मामूली रूप से 0.93 *प्रतिशत* तक घटी थी।

इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त को जारी केन्द्रीय सहायता का विश्लेषण करने से पता चला कि पाँच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को अधिकतम अनुदान प्राप्त हुआ था।

वर्ष	सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को कुल केन्द्रीय अनुदान (रू. करोड़ में)	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को केन्द्रीय अनुदान की राशि (₹ करोड़ में)									
		भा.कृ.अ.प.		वि.वि.अ.आ.		प्र.भा.		वै.औ.अ.प.		न.वि.स.	
		वार्षिक अनुदान	प्रतिशत*	वार्षिक अनुदान	प्रतिशत*	वार्षिक अनुदान	प्रतिशत*	वार्षिक अनुदान	प्रतिशत*	वार्षिक अनुदान	प्रतिशत*
2007-08	20057.54	2230.43	11.12	1836.34	9.16	1093.27	5.45	1863.70	9.29	1104.80	5.51
2008-09	28397.88	2870.47	10.11	2514.00	8.85	1218.94	4.29	2356.20	8.30	1549.87	5.46
2009-10	40495.41	3242.32	8.00	3195.91	7.89	1440.71	3.56	2666.44	6.58	1676.20	4.14
2010-11	44857.68	5296.70	11.81	3573.54	7.97	1586.23	3.54	2929.34	6.53	1655.40	3.69
2011-12	45805.03	4878.83	10.65	10136.00	22.13	1923.68	4.20	3139.30	6.85	1621.90	3.54
योग	**179612.54**	**18518.75**		**21255.79**		**7262.83**		**12954.98**		**7608.17**	

** सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकाय को कुल केन्द्रीय सहायता के संदर्भ में निकाय को अनुदान की प्रतिशतता*

[1] स्रोत: विनियोग लेखे-संघ सरकार (सिविल) संबंधित वर्षों के लिए

भा.कृ.अ.प.– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,

वि.वि.अ.आ.– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्र.भा.– प्रसार भारती,

वै.औ.अ.प.– वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद,

न.वि.स.– नवोदय विद्यालय समिति

तालिका से देखा जा सकता है कि उपर्युक्त पाँच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने ही, 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक, पिछले पाँच वर्षो के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त केन्द्रीय सहायता के 37.64 *प्रतिशत* का लाभ उठाया था।

1.1.2 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे की प्रस्तुतिकरण में विलंब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी, कि लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखे, तीन माह की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेने चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

वर्ष 2010-11 के लिए, 354 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी थी। इनमें से केवल 155 स्वायत्त निकायों के लेखे लेखापरीक्षा हेतु वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित समय में उपलब्ध कराये गये थे। जबकि 181 स्वायत्त निकायों के लेखे, देय तिथि के बाद दिये गये थे, 18 स्वायत्त निकायों के लेखे दिसम्बर 2012 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है।

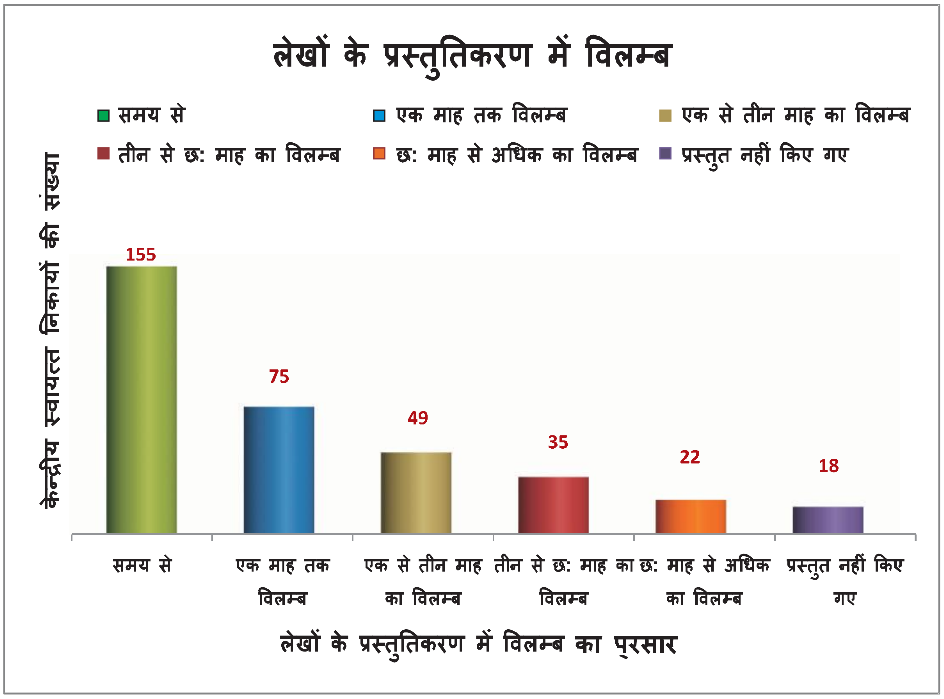

स्वायत्त निकायों जिनके लेखे तीन माह से अधिक विलम्बित थे तथा जिनके लेखे दिसम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए थे, के विवरण **परिशिष्ट–III** में दिये गये हैं।

1.1.3 लेखाओं के प्रस्तुतीकरण का बकाया

18 स्वायत्त निकायों ने अपने लेखे दो तथा छः वर्षो के मध्य तक प्रस्तुत नहीं किये थे **(परिशिष्ट-IV)**।

लेखापरीक्षा हेतु लेखे की प्रस्तुति नहीं करने के कारण, यह उचित आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं होगा कि:

- अनुदानों का उपयोग अभिप्रेय प्रयोजन हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया था;
- प्राप्तियों का ठीक से निर्धारण, उन्हें प्राप्त तथा लेखाबद्ध किया गया था;
- अधिशेष निधियों तथा अव्ययित शेषों के निवेश हेतु एक समुचित प्रणाली थी;
- देयताओं का सृजन वैधानिक था, तथा सभी ज्ञात देयताओं एवं हानियों की व्यवस्था की गयी थी;
- परिसंपत्तियां एवं अन्य संसाधन मौजूद थे; तथा
- लेखा अभिलेख सटीक एवं पूर्ण थे।

यह वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अभाव तथा इन स्वायत्त निकायों पर प्रभावी नियंत्रण के अभाव को दर्शायेगा।

अतः, स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे की प्रस्तुति न करना, न केवल पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति के निर्देशों का उल्लंघन करता है, बल्कि जालसाजी एवं कुप्रबंधन की संभावना से भी भरा हुआ था।

1.2 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब

सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति ने, अपने पहले प्रतिवेदन (1975-76) में, सिफारिश की थी कि स्वायत्त निकायों के लेखा परीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन-वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर अर्थात आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाएं।

31 मई 2013 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति इस प्रकार हैः

लेखे का वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे दिये गये थे, लेकिन संसद के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये	देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2010-11	18*	323**
2011-12	148	-

* 2009-10, के 5 मामले सम्मिलित हैं। ** 2009-10 के 175 मामले सम्मिलित हैं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

स्वायत्त निकायों के नाम, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये अथवा देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट- V** तथा **परिशिष्ट- VI** में शामिल हैं।

1.3 उपयोग प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को दिये गए अनुदानों के संबंध में, वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के अंदर संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है। मार्च 2011 तक दिये गये अनुदानों के संबंध में ₹ 20086.00 करोड़ की राशि के 44713 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या को दर्शाते हुए मार्च 2012 तक देय (वित्त वर्ष जिसमें अनुदान दिये गये, के 12 माह के बाद) मंत्रालय/विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट- VII** में दिये गये हैं। सत्रह मंत्रालयों[2] ने बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

मार्च 2012 को 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बकाया उपयोग प्रमाण पत्र की स्थिति नीचे दी गई है:

31 मार्च 2012 को बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2011 को समाप्त अवधि हेतु	
		संख्या	राशि
1.	विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता	1369	5285.35
2.	कृषि	1085	3607.80
3.	ग्रामीण विकास	1439	2795.33
4.	उच्च शिक्षा	2328	1131.75
5.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	9792	996.50
6.	पंचायती राज	248	775.32
7.	खेल	2183	623.10
8.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	246	578.81
9.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2950	499.39
10.	शहरी विकास	204	437.95
कुल		**21844**	**16731.30**

[2] नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय मामले मंत्रालय, योजना मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू-गर्भ विज्ञान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेय जल एवं स्वास्थ्य सुरक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय।

1.4 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत लेखे के साथ संलग्न करके किए जाने अपेक्षित हैं। संबंधित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों को दी गयी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गयी हैं:

1.4.1 सामान्य टिप्पणियां

(क) वर्ष 2011-12 के लिए, 94 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (**अनुबंध-I**)

(ख) 2011-12 के दौरान 100 स्वायत्त निकायों की स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। **(अनुबंध-II)**

(ग) 2011-12 के दौरान 90 स्वायत्त निकायों की वस्तु-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। **(अनुबंध-III)**

(घ) 27 स्वायत्त निकायों ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार भविष्य निधि शेषों का निवेश नहीं किया था। **(अनुबंध-IV)**

(ड.) 51 स्वायत्त निकाय प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों की गणना कर रहे हैं, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के साथ संगत नहीं है **(अनुबंध-V)**

(च) 102 स्वायत्त निकायों ने ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर नहीं की। **(अनुबंध-VI)**

(छ) 23 स्वायत्त निकायों द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य-ह्रास नहीं दिया गया था। **(अनुबंध-VII)**

(ज) 18 स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में अपने लेखाओं को संशोधित किया है। **(अनुबंध-VIII)**

1.4.2 प्रत्येक केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे पर उल्लेखनीय अभ्युक्तियाँ

(1) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

i) निधियों का उपयोग

कार्याधीन पूंजीगत कार्य - ₹ 86.95 करोड़

क) इसमें ₹ 102.85 करोड़ की कीमत पर खरीदे गये आर.एम.क्यू.सी. क्रेनों के अंतिम बिल के प्रति ₹ 25.53 करोड़ राशि का बकाया सम्मिलित है। चूँकि, क्रेनें सितम्बर, 2011 में उपयोग में लानी शुरू की गयी थीं, उपरोक्त राशि को पूंजी के रूप में नहीं मानने के परिणामस्वरूप कार्याधीन पूंजीगत कार्य को अधिक बताया गया तथा ₹ 25.53 करोड़ तक की स्थायी परिसंपत्तियों को कम बताया गया। इसके अतिरिक्त, मूल्यह्रास को भी ₹ 1.28 करोड़ कम बताने के परिणामस्वरूप उतने ही परिणाम का लाभ अधिक बताया गया।

ख) इसमें ₹ 7.02 करोड़ (राजस्व प्रकृति के व्ययों के प्रति ₹ 1.93 करोड़ तथा एक आर. एम. क्यू. सी. के अधिग्रहण से संबंधित एक आपूर्तिकर्ता को अग्रिम के प्रति ₹ 5.08 करोड़) शामिल है, जिसे राजस्व पर/प्रभारित चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए था। अतः, कार्याधीन पूंजीगत कार्य को ₹ 7.02 करोड़ अधिक बताया गया। इसी के अनुरूप, लाभ ₹ 1.93 करोड़ अधिक बताया गया था और चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों को ₹ 5.09 करोड़ कम बताया गया।

ii) वर्तमान देयताएं - विविध लेनदार

सेवा-निवृत्ति लाभ हेतु लेनदार ₹ 27.44 करोड़

बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि, ग्रेच्युटी निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि से संबंधित कुल देयता 31.03.2012 को ₹ 473.18 करोड़ थी। बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के दौरान ₹ 162.20 करोड़ तक की अनिधिक देयता लेखा मानक 15 के गैर अनुपालन में प्रदान नहीं करने के परिणामस्वरूप, कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभों के प्रावधान को कम बताया गया तथा लाभ को ₹ 162.20 करोड़ अधिक बताया गया।

(2) कांडला पत्तन न्याय

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

पेंशन निधि

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये पेंशन निधि के बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन निधि आवश्यकता ₹ 551.00 करोड़ थी, जबकि उपलब्ध निधि ₹ 396.57 करोड़ थी, जो ₹ 154.43 करोड़ की कमी में परिणत हुआ था। वर्ष के दौरान कांडला पत्तन न्यास ने निधि में ₹ 54.39 करोड़ का अंशदान किया और अर्जित ब्याज ₹ 38.08 करोड़ था। तथापि, ₹ 61.96 करोड़ की शेष राशि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जो लेखा मानक 15 के अनुपालन में नहीं था। परिणामस्वरूप, चालू

देयताएं पेंशन निधि को कम बताया गया तथा कर पूर्व लाभ को ₹ 61.96 करोड़ अधिक बताया गया।

(3) मोरमुगाव पत्तन न्यास

लाभ एवं हानि लेखा

वित्तीय एवं विविध व्यय

(क) पेंशन न्यास निधि में अंशदान- ₹ 26.50 करोड़

बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च 2012 को पेंशन निधि में अंशदान के प्रति देयता ₹ 680.98 करोड़ थी, जिसके प्रति उस तिथि को पेंशन निधि में उपलब्ध शेष ₹ 365.67 करोड़ था, जो ₹ 315.31 करोड़ की कम प्रावधान में परिणत हुआ। इस प्रकार, वर्ष में अधिशेष को ₹ 315.31 करोड़ अधिक बताया गया।

(ख) ग्रेच्युटी न्यास निधि में अंशदान- ₹ 10 करोड़

बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2012 को ग्रेच्युटी निधि में अंशदान के प्रति देयता ₹ 89.37 करोड़ थी, जिसके विपरीत उस तिथि को ग्रेच्युटी निधि में उपलब्ध शेष ₹ 51.70 करोड़ था, जो ₹ 37.67 करोड़ की कम प्रावधान में परिणत हुआ। इस प्रकार, वर्ष के लिए अधिशेष को ₹ 37.67 करोड़ अधिक बताया गया।

(ग) अर्जित अवकाश प्रावधान- ₹ 4 करोड़

बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2012 को अवकाश नकदीकरण निधि में अंशदान के प्रति देयता ₹ 22.92 करोड़ थी, जिसके विपरीत उस तिथि को अवकाश नकदीकरण निधि में उपलब्ध शेष ₹ 19.30 करोड़ था, जो ₹ 3.62 करोड़ की कम प्रावधान में परिणत हुआ। इस प्रकार वर्ष के लिए ₹ 3.62 करोड़ अधिशेष को अधिक बताया गया।

(4) मुम्बई पत्तन न्याय

परिचालन आय ₹ 1023.05 करोड़

मुंबई पत्तन न्यास (मुं.प.न्या.) ने 08.02.2012 से 07.02.2012 तक 30 वर्षो की अवधि हेतु एक जमीन के टुकड़े के लीज के प्रति सीमा शुल्क विभाग से ₹ 16.64 करोड़ (मई, 2010 में ₹ 0.56 करोड़ तथा जनवरी 2012 में ₹ 16.08 करोड़) का अग्रिम प्रीमियम प्राप्त किया। मु.प.न्या. ने ₹ 16.64 करोड़ की संपूर्ण धनराशि को परिचालन आय के रूप मे दर्ज किया था। चूँकि अग्रिम प्रीमियम का लाभ 30 वर्षों के लिए था, केवल एक प्रीमियम 08.02.2012 से 31.03.2012 (0.8 करोड़) को ही आम के रूप में दर्ज किया जाना था। चूँकि, संपूर्ण अग्रिम प्रीमियम परिचालन आय के रूप में

दर्ज किया गया था, परिचालन आय को ₹ 16.56 करोड़ अधिक बताया गया और चालू देयताएं उतनी ही धनराशि से कम बतायी गयीं।

(5) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ - ₹ 307.55 करोड़

अक्षय निधि शेष ₹ 30.64 करोड़, इन कारणों से कम बतायी गयी:

(क) 2011-12 के दौरान अव्ययित/अस्थायी रूप से बैंकों में रखी गयी अक्षय निधि पर अर्जित ₹ 29.91 करोड़ के ब्याज से हुए आय को अक्षय निधि में जमा करने की बजाय आयोग की आय के रूप में माना।

(ख) 2011-12 के दौरान अव्ययित/अस्थायी रूप से बैंकों में रखे गये अक्षय निधि शेषों से अर्जित ₹ 0.73 करोड़ के ब्याज की आय को लेखाबद्ध नहीं करना।

(6) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

वाहन (कुल ब्लॉक) - ₹ 3.01 करोड़

भा.प्र.वि.बो. ने ₹ 0.81 करोड़ मूल्य के सात वाहनों का पूंजीकरण नहीं किया, जिन्हें वर्ष के दौरान खरीदा और उपयोग में लाया गया था। इसके फलस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों-वाहनों को कम और ऋणों तथा अग्रिमों को ₹ 0.81 करोड़ से अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष हेतु मूल्यह्रास को भी ₹ 0.02 करोड़ कम बताया गया तथा वर्ष हेतु अधिशेष को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया।

(7) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड, नई दिल्ली

अन्य चालू देयताएं - ₹ 0.39 करोड़

उपरोक्त में, मैसर्स दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम लि. द्वारा फरवरी/मार्च 2012 के दौरान एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्श शुल्क के भुगतान हेतु बीजकों के प्रति ₹ 3.66 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। उपरोक्त भुगतान के लिए, कार्य बल की परामर्श समीक्षा समिति (प.स.स.)/उप-समिति द्वारा इसकी फरवरी/मार्च, 2012 में आयोजित बैठक में अनुशंसा किये जाने के बावजूद, ₹ 3.66 करोड़ की देयता, लेखे में दर्ज नहीं की गयी थी। इसके परिणामरस्वरूप अन्य चालू देयताओं को ₹ 3.66 करोड़ से कम बताया गया, आर.आर.टी.एस. हेतु प्राप्ति योग्य अनुदान को ₹ 2.70 करोड़ से कम बताया गया और उद्दिष्ट/अक्षय निधि को ₹ 0.96 करोड़ से अधिक बताया गया था।

(8) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली

स्थायी परिसंपत्तियाँ - ₹ 0.13 करोड़

उपर्युक्त में ह.श.वि.प्रा. द्वारा नि.नि.प. को आवंटित ₹ 7.08 करोड़ राशि की भूमि, जिसके लिए अनुमति वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अलग से ली गयी थी, का मूल्य सम्मिलित नहीं है। इसके शामिल नहीं होने के कारण कुल संपत्तियों एवं पूँजी आरक्षण को ₹ 7.08 करोड़ से कम बताया गया।

(9) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली।

स्थायी परिसंपत्तियाँ - ₹ 11.29 करोड़

उपर्युक्त में, गुवाहाटी कार्यालय भवन के अधिग्रहण हेतु अदा राशि के प्रति ₹ 2.51 करोड़ शामिल है। चूंकि, कब्जा देने और भवन के मंजिल बेचने के लिए अनुबंध, 27 अप्रैल 2012, अर्थात वित्त वर्ष 2012-13 में किया गया था, उपर्युक्त कार्यालय भवन के लिए अदा धनराशि को लेखे में अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसंपत्तियों (निवल संपत्ति) को ₹ 2.26 करोड़ अधिक बताया तथा अग्रिम को ₹ 2.51 करोड़ को कम बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष हेतु मूल्य ह्रास की ₹ 0.25 करोड़ अधिक बताया गया तथा उसी हद तक व्यय पर आय की अधिकता कम बताई गयी।

(10) राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसाइटी, नई दिल्ली

चालू देयताएं तथा प्रावधान - ₹ 83.49 करोड़

उपर्युक्त में, ₹ 1.65 करोड़ को विद्युत प्रभारों, मरम्मत एवं अनुरक्षण, परियोजना प्रबंधन सेवाओं तथा अन्य देय धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण कम बताया गया और इसके साथ ही उतनी राशि तक व्यय पर आय अधिकता को अधिक बताया गया।

(11) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

स्थायी परिसंपत्तियाँ - ₹ 166.09 करोड़

उपर्युक्त में, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा रा.फै.प्रौ.सं. को आबंटित थिरूवांमियुर स्थित भूमि (अभी कीमत निर्धारित नहीं हुई, यद्यपि अप्रैल 1999 में आबंटित) तथा ग्यूंडी तालुक में तीन एकड़ के माप की भूमि (₹ 17.47 करोड़ मूल्य की) शामिल नहीं है। प्रबंधन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा ये जमीनें रा.फै.प्रो.सं. को मुफ्त में दी गयी थीं। भूमि को स्थायी परिसंपत्ति अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए था, लेखांकन मानक 12 के अनुसार समुचित रूप से कीमत लगानी चाहिए थी और इस संबंध में तथ्यात्मक

स्थिति, रा.फै.प्रौ.सं. के लेखांकन नीति के साथ लेखाओं में उद्घाटित की जानी चाहिए थी।

(12) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली

चालू देयताएं तथा प्रावधान

अन्य देय - किरायाः रू. 4.83 करोड़

उपर्युक्त में, भा.ते.नि.लि. द्वारा मांगे गये किराया के अंतर धनराशि (पे.प्रा.गै.वि.बो. के साथ दिनांक 14.07.2008 के समझौता ज्ञापन के अनुसार) होने के कारण ₹ 5.36 करोड़ (वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 1.05 करोड़ सहित) तथा पे.प्रा.गै.वि.बो. द्वारा भा.ते.नि.लि. को अक्तूबर 2008 से मार्च 2012 की अवधि हेतु दिया जाने वाला किराया (एक अन्य किरायेदार मैसर्स पेट्रोनेट त.प्रा.गै. लिमिटेड द्वारा दिये जा रहे किराये के समान दर पर) को सम्मिलित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, अधिशेष को ₹ 5.36 करोड़ अधिक बताया गया साथ ही चालू देयताओं को कम बताया गया।

(13) वस्त्र समिति, मुंबई

i) वेतन एवं पारिश्रमिक हेतु प्रावधान - ₹ 1.76 करोड़

उपर्युक्त में ₹ 1.32 करोड़, वस्त्र समिति के कर्मचारियों के लिए, वस्त्र मंत्रालय द्वारा जनवरी 2011 में यथोचित रूप से अनुमोदित तथा 1 सितंबर 2008 से प्रभावी संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के प्रति देयता होने के कारण, शामिल नहीं है। सं.आ.कै.प्र. व्यय का प्रावधान नहीं होने के फलस्वरूप चालू देयताओं एवं प्रावधान को कम बताया गया तथा अधिशेष को ₹ 1.32 करोड़ अधिक बताया गया।

ii) चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम - ₹ 65.71 करोड़

ओटाई एवं दाब इकाइयों के आकलन तथा क्रम निर्धारण - ₹ 1.22 लाख

उपर्युक्त में, ₹ 22.57 लाख, प्रोद्भूत ब्याज होने परंतु कपास ओटाई तथा प्रसंस्करण फैक्ट्रियों के आकलन एवं क्रमस्थापन से संबंधित निधि से किये गये ₹ 3 करोड़ के सावधि जमा पर देय न होने के कारण शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों को ₹ 22.57 लाख से कम बताया गया तथा उद्दिष्ट निधि को उसी राशि तक कम बताया गया।

(14) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता

i) स्थायी/पूंजीगत परिसंपत्तियाँ - ₹ 992.61 करोड़

(क) ₹ 20.43 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ, 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान उपयोग में लायी गयी थीं, 2011-12 के दौरान पूंजीकरण किया गया और मूल्यह्रास तदनुसार उपलब्ध कराया गया था। उपर्युक्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उनके उपयोग की संबंधित तिथि के पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रदान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप पूर्व के वर्षो हेतु मूल्यह्रास के प्रावधान के ₹ 1.99 करोड़ कम बताए गए तथा उतनी ही राशि के लाभ अधिक बताए गए।

(ख) लघु मरम्मत तथा प्रतिस्थापन कार्य के प्रति ₹ 3.10 करोड़ की राशि के किये गये व्यय को वर्ष के दौरान उसे मरम्मत और अनुरक्षण व्यय के रूप में प्रभारित करने की बजाय इसका पूंजीकरण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल संपत्ति को ₹ 3.10 करोड़ से, मूल्यह्रास प्रावधान को ₹ 0.12 करोड़ तथा लाभ को ₹ 2.98 करोड़ अधिक बताया गया।

ii) चालू देयताएं तथा प्रावधान - ₹ 2163.04 करोड़

(क) कोलकाता पत्तन न्यास (को.प.न्या) बोर्ड. द्वारा यह निश्चित किया गया (जून 2004) था कि को.प.न्या. अधिवर्षिता निधि को इसके निवेशों की परिपक्वता तक जारी रखा जाएगा और उसके बाद जी.बी.नि. के साथ सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि के न्यासियों को ब्याज के साथ हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उपर्युक्त के प्रति, आंतरिक रूप से अनुरक्षित निधि के समक्ष कुल निवेश 31.03.2012 को ₹ 278.82 करोड़ था। 2011-12 के दौरान ₹ 219.11 करोड़ राशि के निवेश परिपक्व हो चुके थे, जिसमें से ₹ 212.86 करोड़ को पुनः निवेशित किया गया और ₹ 6.25 करोड़ की शेष राशि को निधि में रखे रहने की बजाय लाभ एवं हानि लेखे में हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसे निवेशों पर ₹ 3.12 करोड़ के ब्याज से आय को उपर्युक्त निधि में हस्तातंरित करने की बजाय, को.प.न्या. के लाभ के रूप में मान्यता दी गयी। इसके परिणामस्वरूप आन्तरिक रूप से अनुरक्षित निधि (को.प.न्या. के अधिवार्षिता निधि) के ₹ 9.37 करोड़ (₹ 6.25 करोड़ + ₹ 3.12 करोड़) कम बताये और लाभ केस उतनी राशि तक अधिक बताया गया।

(ख) 01.04.2004 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को संराशीकरण तथा उपदान/मृत्यु उपदान का भुगतान सीधे को.प.न्या. द्वारा किया जाता है और इसे भा.जी.बी.नि. द्वारा नियमित रूप से प्रतिपूरित किया जाता है। यद्यपि यह पाया गया कि 2011-12 के दौरान उपदान/मृत्यु उपदान की भा.जी.बी. से कम वसूली होने के कारण इसे भा.जी.बी.नि. से वसूली योग्य चालू परिसम्पति में न दर्शाकर अतिरिक्त रूप से अनुरक्षित अधिवार्षिता निधि में से ₹ 1.26 करोड़ घटाए गए। इसके परिणामस्वरूप् आंतरिक रूप से अनुरक्षित निधि (को.प.न्या. अधिवर्षिता निधि) और चालू परिसंपत्तियाँ दोनों को ₹ 1.26 करोड़ कम बताया गया।

(ग) 2.12.2011 के भा.स. (नौवहन मंत्रालय-पत्तन स्कंध) के निर्देशों के अनुसार लाभ कमानेवाले प्रमुख पत्तन न्यासों को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) के प्रति एक निधि का सृजन करना चाहिए तदनुसार ₹ 100 करोड़ से कम लाभ कमाने वाले पत्तनों को पिछले वर्ष के शुद्ध लाभ में तीन से पाँच *प्रतिशत* की निधि का निर्माण सृजन करना होता है। वर्ष 2010-11 में कोलकाता पत्तन न्यास का निवल लाभ ₹ 70 करोड़ था। यद्यपि यह पाया गया कि को.प.न्या. द्वारा नि.सा.उ. गतिविधियों हेतु कोई निधि सृजित नहीं की गई। इस प्रकार, वर्ष का लाभ ₹ 2.10 करोड़ (₹ 70 करोड़ का 3 प्रतिशत) अधिक दर्शाया गया और साथ ही उतनी ही राशि का प्रावधान कम दिखाया गया।

(15) कोलकाता डॉक श्रमिक बोर्ड, कोलकाता

कोलकाता डॉक श्रमिक बोर्ड, कोलकाता (को.डॉ.श्र.बों.) अपने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को ₹ 262.06 करोड़[3] (31.03.2012 तक) की बकाया पेंशन और अन्य देयताओं का भुगतान नहीं कर सका है। क.डॉ.श्र.बो. के 58 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी सेवानिवृत्ति देयाताओं का दावा करते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने क.डॉ.श्र.बो. को उनके बकाया सेवानिवृत्ति देयताओं का ब्याज और कानूनी लागत सहित भुगतान का आदेश दिया। 2011-12 में क.डॉ.श्र.बो. ने 58 सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु पेंशन तथ अन्य देयताओं के लिए ₹ 1.71 करोड़ की धनराशि प्रदान की जबकि यह ₹ 262.06 करोड़ के प्रावधान में पहले से सम्मिलित था। यद्यपि, ऐसे 58 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय ₹ 0.20 करोड़ के ब्याज व कानूनी लागत के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस प्रकार, सेवानिवृत्त

[3] 31.03.2012 तक सेवानिचृत्त कर्मचारियों की बकाया देयताओं में बकाया पेशन लाभ (₹ 240.13 करोड़), अवकाश नकदीकरण (₹ 8.53 करोड़) और चिकित्सा भत्ता (₹ 13.40) करोड़ सम्मिलित हैं।

कर्मचारियों की देयताओं के प्रति ₹ 1.51 करोड़ (₹ 1.71 करोड़ - ₹ 0.20 करोड़) का अधिक प्रावधान किया गया। उपरोक्त के परिणामस्वरूप 'आय पर व्यय की अधिकता' को ₹ 1.51 करोड़ अधिक भी दर्शाया गया।

(16) पाराद्वीप पत्तन न्यास

i) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-5) -₹ 1879.27 करोड़

पाराद्वीप में मत्स्य पालन बंदरगाह परियोजना 1998-99 में ₹ 41.18 करोड़ की लागत में बनाई गई जिसके लिए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) से ₹ 38.02 करोड़ का पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ था। ₹ 3.16 करोड़ की अधिशेष लागत का निधीयन पाराद्वीप पत्तन न्यास ने किया। भा.स. ने निर्धारित किया कि मत्स्य पालन बंदरगाह का प्रबंधन पा.प.न्या. द्वारा किया जाएगा और इस पर किया गया व्यय ऐसे बंदरगाह के संचालन से उत्पन्न होने वाली आय से पूर्ण किया जाएगा। अन्ततः मत्स्य पालन बंदरगाह को उड़ीसा सरकार को सितम्बर 2011 में पट्टे पर सौंप दिया गया। 2000-01 से 2011-12 में संचालन प्रारंभ होने से लेकर पा.प.न्या. द्वारा किया गया राजस्व व्यय ₹ 4.70 करोड़ अधिक था जिसे भा.स. से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया। पा.प.न्या. ₹ 7.90 करोड़ के पूंजीगत व राजस्व व्यय दोनों की प्रतिपूर्ति हेतु भा.स. के पास गई। यद्यपि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी भा.स. से इसके लिए कोई सहायता/आश्वासन नहीं मिला। अतः पा.प.न्या. ने पूंजीगत व्यय (₹ 3.16 करोड़) को राजस्व व्यय पर प्रभारित कर दिया है। तथापि, खाता बहियों में राजस्व व्यय (₹ 4.70 करोड़) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्यों तथा निवल अधिशेष दोनों को ₹ 4.70 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

ii) चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 6) ₹ 1318.57 करोड़

पाराद्वीप पत्तन न्यास ने पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 1967 से 2002 के दौरान भा.स. से सब्याज ऋण लिए। चूंकि ऋण चुकाने में विलम्ब हुए, इसलिए भा.स. ने ₹ 672.41 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का दावा किया जिसके प्रति पा.प.न्या. ने अपनी लेखा बहियों में ₹ 229.97 करोड़ का ही प्रावधान किया। दण्डात्मक ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि माफ करने हेतु पा.प.न्या. के अनुरोध को भा.स. ने स्वीकार नहीं किया। (फरवरी 2012)। अतः, भा.स. के ऋण पर ब्याज के प्रावधान को ₹ 442.44 करोड़ कम दर्शाया गया है और इतना ही निवल अधिशेष को अधिक दर्शाया गया है।

iii) सम्पदा किराया (अनुसूची-10) -₹ 23.92 करोड़

पा.प.न्या. ने पत्तन भूमि पर पाईप लाईन बिछाने हेतु मार्ग अधिकार प्रदान करने हेतु लाइसेंस शुल्क के लिए जमा के रूप में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से

₹ 3.14 करोड़ प्राप्त किए और इसे संपदा किराए से आय के रूप में दर्ज किया गया। पा.प.न्या. की भूमि आबंटन समिति के निर्णयानुसार लाइसेंस शुल्क कार्यस्थल पर सामान के लदान की तिथि से लागू होनी थी। यद्यपि मार्च 2012 तक कार्यस्थल आबंटित नहीं किया गया और कार्यस्थल पर सामान नहीं लादा गया और इसलिए वर्ष 2011-12 के लिए लाइसेंस शुल्क प्राद्भावित नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप आय (संपदा किराया) को ₹ 3.14 करोड़ अधिक दर्शाया गया और अन्य (वर्तमान देयताएँ) से जमा को इतना ही कम दर्शाया गया।

iv) नौ परिवहन हेतु पत्तन और डॉक सुविधाएं (पाईलट सुविधा सहित) (अनुसूची 12) - ₹ 89.97 करोड़

मूल्यह्रास- ₹ 7.55 करोड़

प्लवमान यान पर मूल्यह्रास पोतपरिवहन मंत्रालय, भा.स. के मानकों की अवमानना करते हुए 5 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष (प्र.व.) के बजाय 25 *प्रतिशत* की दर पर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास ₹ 3.51 करोड़ (गत वर्ष के ₹ 1.85 करोड़ सहित) अधिक दर्शाया गया और निवल अधिशेष ₹ 3.51 करोड़ कम दर्शाया गया।

v) वित्त तथा विविध आय (अनुसूची 16) - ₹ 170.46 करोड़

भविष्य निधि खातों में निवेश से अर्जित ₹ 0.80 करोड़ की ब्याज आय को भविष्य निधि खाते के प्रति देयता में दर्शाने के बजाय इसे पा.प.न्या. की अपनी आय के रूप में दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप निवल अधिशेष (वित्त और विविध आय) ₹ 0.80 करोड़ अधिक दर्शाया गया और चालू देयताओं को इतना ही कम दर्शाया गया।

vi) वित्त तथा विविध व्यय (अनुसूची-17) - ₹ 59.13 करोड़

भा.स. (पोतपरिवहन मंत्रालय-पत्तन स्कंध) के दिनांक 2.12.2011 के निर्देशों के अनुसार लाभ कमाने वाले प्रमुख पत्तन न्यासों को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) के प्रति एक निधि का सृजन करना होता है। तदनुसार जो न्यास ₹ 100 करोड़ से ₹ 500 करोड़ की सीमा में लाभ कमाते हैं, उन्हें गत वर्ष के निवल लाभ 2 से 3 प्रतिशत की निधि का सृजन करना होता है, जो ₹ 3 करोड़ से कम न हो। वर्ष 2010-11 के लिए पाराद्वीप पत्तन न्यास का निवल लाभ ₹ 272.03 करोड़ और इसलिए वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 5.44 करोड़ (₹ 272.03 करोड का 2 प्रतिशत)की सीमा तक नि.सा.उ. निधि हेतु प्रावधान किया जाना था। जबकि पा.प.न्या. ने ऐसी निधि के प्रति मात्र ₹ 4.50 करोड़ की धनराशि प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप नि.सा.उ. निधि हेतु प्रावधान को ₹ 0.94 करोड़ कम और निवल अधिशेष को इतना ही अधिक दर्शाया गया है।

vii) लेखा टिप्पणियों की मद सं. 19 (च) के साथ पठित पेंशन योगदान ₹ 40 करोड़ (अनुसूची 19)

रतीय जीवन बीमा निगम (भा.जी.बी.नि.) द्वारा किए गए बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार 01.04.2012 को कर्मचारियों की पेंशन निधि के प्रति संस्तुत देयता ₹ 451 करोड़ थी। पा.प.न्या. एक पृथक पेशन निधि रखता है, जिसमें निधि शेष 31.03.2012 को ₹ 373.77 करोड़ था। यद्यपि पेंशन निधि में ₹ 77.23 करोड़ के घाटे हेतु लेखा बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह पाराद्वीप पत्तन न्यास द्वारा घोषित लेखा नीति सं. 19 (च) का उल्लंघन करता है और इसके परिणामस्वरूप पेशन अंशदान हेतु प्रावधान ₹ 77.23 करोड़ कम और निवल अधिशेष इतना ही अधिक दर्शाया गया।

viii) समूह उपदान योजना

भा.जी.बी.नि. द्वारा किए गए बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार पा.प.न्या. की समूह उपदान योजना के प्रति देयता 31.03.2012 को ₹ 100.06 करोड़ थी। इस तिथि को भा.जी.बी.नि. के पास रखा उपदान निधि अधिशेष ₹ 75.58 करोड़ था। तथापि न ही भा.जी.बी.नि. को कोई भुगतान किया गया था और न ही भा.जी.बी.नि. को देय उपदान निधि में कमी के प्रति ₹ 24.48 करोड़ के लिए वार्षिक लेखाओं में कोई प्रावधान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उपदान अंशदान हेतु प्रावधान ₹ 24.48 करोड़ कम और साथ ही निवल अधिशेष को इतना ही अधिक दर्शाया गया।

(17) राष्ट्रीय जूट बोर्ड

देयताएँ

राष्ट्रीय जूट बोर्ड (रा.जू.बो.) जूट प्रौद्योगिकी मिशनों (जू.प्रौ.मि.) की विभिन्न परियोजनाओं के प्रति भा.स. से निधियाँ प्राप्त करता है जिनका लेखा-जोखा जू.प्रौ.मि. योजना निधि के अंतर्गत किया जाता है। रा.जू.बो. को 2010-11 से 2011-12 की अवधि में जू.प्रौ.मि. योजना निधि की जमाओं पर ₹ 1.77 करोड़ का ब्याज मिला और इसे उस वर्ष की जू.प्रौ.मि. योजना निधि का भाग मानने के बजाय रा.जू.बो. की आय के रूप में विचार किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जूट बोर्ड के व्यय पर आय की अधिकता को ₹ 1.02 करोड़ और जूट बोर्ड निधि को ₹ 0.75 करोड़ अधिक दर्शाया गया। जू.प्रौ.मि. निधि को भी ₹ 1.77 करोड़ कम दर्शाया गया।

(18) चाय बोर्ड, कोलकाता

i) परिसम्पतियाँ

(क) चाय बोर्ड द्वारा हार्ड वेयर तथा सॉफ्टवेयर पर किया गया कुल व्यय (ई.-नीलामी प्रणाली के विकास हेतु) 31 मार्च 2012 को ₹ 1317.35 लाख (₹ 682.02 लाख + ₹ 635.33 लाख) था। इसमें से ₹ 211.78 लाख 2011-12 में अदा किए गए और इसे राजस्व व्यय मानते हुए वित्त वर्ष 2011-12 के आय व व्यय लेखे में प्रभारित कर दिया गया। अधिशेष भाग जो 2011-12 से पूर्व अदा किया गया था, गत वर्ष के आय व व्यय लेखे में प्रभारित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तयों के सकल खण्ड को 31 मार्च 2012 तक ₹ 1317.35 लाख (चालू वित्त वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 211.78 लाख सहित) कम दर्शाया गया और साथ ही व्यय पर आय की अधिकता को इतना ही कम दर्शाया गया।

(ख) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु के.लो.नि.वि. को ₹ 131.75 लाख अदा किए गये। तथापि भुगतान अनावर्ती व्यय का था, परंतु इसे पूंजीगत व्यय नहीं समझा गया और आय व व्यय लेखे में प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2012 को परिसम्पत्तियों के सकल खण्ड को ₹ 131.75 लाख कम और साथ में प्रा.व.प्रे. लेखे में आय पर व्यय की अधिकता को इतना ही अधिक दर्शाया गया।

(ग) ऋण समग्रता निधि पर प्रोद्भूत ₹ 88.59 लाख के ब्याज की राशि का लेखा-जोखा ब्याज का परिकलन तिमाही चक्रवृद्धि पद्धति से करने के बजाय साधारण ब्याज पद्धति से करने के कारण नहीं किया गया। इस प्रकार प्रोद्भूत आय का लेखा-जोखा न करने से चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 88.59 लाख कम और साथ में व्यय पर आय की अधिकता इतनी ही कम दर्शाई गई।

(घ) चाय बोर्ड ने राजस्व मद जैसे चटाई, कयर, छोटे वैद्युत पुर्जे जैसे स्विचों, कॉल बेल और बर्तनों, प्लास्टिक की टोकरियों इत्यादि पर वर्ष 2011-12 में ₹ 16.50 लाख का व्यय किया। इस व्यय को पूंजी न बनाकर आय व व्यय लेखे में प्रभारित करना चाहिए था। इस प्रकार, इन छोटी वस्तुओं पर किए गए राजस्व व्यय को आय व व्यय लेखे में प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹ 16.50 लाख अधिक और साथ ही आय पर व्यय की अधिकता को इतना ही कम दर्शाया गया।

ii) व्यय

परिक्रामी समग्रता निधि ऋण योजना के अन्तर्गत, चाय बागानों को ऋण समझौते के नियम व शर्तों के अनुसार मूलधन व ब्याज चुकाना होता है। चाय बोर्ड ने 2011-12 के आय व व्यय लेखे में कोई लेखा प्रभाव दिए बिना तुलना पत्र में ₹ 2038 लाख के

बकाया ऋण पर, अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के रूप में ₹ 204 लाख की धनराशि दर्शाई। इस प्रकार, 31 मार्च 2012 तक परिक्रामी समग्र निधि तुलन पत्र में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु कोई उचित प्रावधान नहीं किया गया था और किसी देयता का सृजन नहीं किया गया था। चाय बगानों को जारी किए जाने वाले ऋण के संबंध में अशोध्य व संदिग्ध ऋणों हेतु आवश्यक प्रावधान करने हेतु उचित लेखाकरण का अनुपालन न करने के परिणास्वरूप व्यय व देयता ₹ 204 लाख कम दर्शाई गई और साथ में व्यय पर आय की अधिकता भी इतनी ही अधिक दर्शाई गई।

(19) कोयर बोर्ड

चालू देयताएं व प्रावधानः ₹ 392.69 लाख

पेंशन - ₹ 79.72 करोड़ अवकाश नकदीकरण-₹ 7.11 करोड़ और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान ₹ 7.18 करोड़ के प्रति देयताओं का प्रावधान न करने के कारण यह ₹ 94.01 करोड़ कम दर्शाया गया।

(20) रबर बोर्ड

चालू देयताएँ व प्रावधान

सेवानिवृत्ति लाभों का बीमांकन मूल्यांकन 31.03.2012 को ₹ 448.81 करोड़ था। तथापि, बोर्ड ने मात्र ₹55.16 करोड़ के लिए प्रावधान किया है। सेवानिवृत्ति लाभों का कम प्रावधान करने के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों को ₹ 393.65 करोड़ कम दर्शाया गया।

(21) मसाले बोर्ड

i) अचल परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची 8) - ₹144.28 करोड़

मूल्यह्रास को न्यूनतम दरों और स्वयं की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार प्रभारित नहीं करने के कारण स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹ 2.20 करोड़ अधिक बताया गया है।

ii) चालू देयताएँ व प्रावधान

भा.जी.बी.नि. द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों (उपदान, अधिवार्षिता व अवकाश नकदीकरण) का बीमांकन मूल्यांकन ₹ 75.19 करोड़ था। 31.03.2012 तक बोर्ड ने मात्र ₹ 46.16 करोड़ का देयता प्रावधान किया था।

(22) चेन्नई पत्तन न्यास

चालू देयताएँ व प्रावधान

i) बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि व उपदान निधि हेतु देयता क्रमशः ₹ 2013.52 करोड़ तथा ₹ 212.65 करोड़ होनी चाहिए जिसके प्रति पत्तन न्यास ने क्रमशः ₹1683.30 करोड़ व ₹ 177.65 करोड़ दिए। देयता के कम प्रावधान के परिणामस्वरूप अधिशेष ₹ 365.22 करोड़ अधिक और चालू देयताएँ व प्रावधान इतने ही कम दर्शाए गए।

ii) स्थायी परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 2011-12 में किया गया। स्थायी परिसम्पत्तियों (निवल खंड) को 73 मदों का मूल्य ₹ 6.60 करोड़ और 129 मदों का मूल्य शून्य हुआ, जो प्रत्यक्षतः उपलब्ध न होते हुए भी स्थायी परिसम्त्तियों में सम्मिलित हैं।

(23) कोचीन पत्तन न्यास

चालू देयताएँ तथा प्रावधान - ₹ 322.72 करोड़

यह बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार पेंशन व उपदान देयताओं के प्रति अंशदान में कमी हेतु प्रावधान न करने के कारण ₹ 1264.01 करोड़ कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप संचित घाटा भी ₹ 1264.01करोड़ कम दर्शाया गया।

(24) दिल्ली विकास प्राधिकरण

i) चालू देयताएँ व प्रावधान

उपरोक्त में राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कुछ पूर्ण परियोजनाओं के प्रति ₹ 50.94 करोड़ की देयता को सम्मिलित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं व प्रावधानों और साथ ही रा.मं.खे. परियोजना व्यय को ₹ 50.94 करोड़ कम और निवल घाटा इतना ही कम दर्शया गया।

ii) नकद या अन्य ढंग से वसूली योग्य अग्रिम

उपरोक्त में स्लम विभाग से वसूली योग्य ₹ 4.12 करोड़ का अग्रिम सम्मिलित है। यह अग्रिम 20 से अधिक वर्षों से बकाया था, इसलिए वसूली संदिग्ध थी और प्रावधान किया जाना आवश्यक था।

iii) समाप्त भण्डार - निर्मित गृह

उपरोक्त में ₹ 11.78 करोड़ के 109 निर्मित घर सम्मिलित थे जो संबंधित आबंटियों द्वारा बेचे या अधिकृत किए जा चुके थे। तथापि प्राधिकरण ने इन घरों को समाप्त भण्डारों की सूची में से नहीं हटाया। बेचे जा चुके घरों को निर्मित घरों के समाप्त भण्डार से न हटाने के कारण शेष भंडार व निर्माण कार्य (समाप्त भण्डार निर्मित गृह) को ₹11.78 करोड़ अधिक और प्राधिकरण के घाटों को इतना ही कम दर्शाया गया।

(25) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र

देयताएँ उद्दिष्ट/अक्षय निधि (अनुसूची-3)

संस्थान विकास निधि (परामर्श): ₹ 528.36 लाख

उपरोक्त संस्थान द्वारा परामर्श सेवाएँ प्रदान करने, भवन निर्माण सामग्री तथा नमूनों की जांच के द्वारा अर्जित परामर्श आय को दर्शाता है, जिसका लेखा-जोखा आय के रूप में होना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप देयता (संस्थान विकास निधि परामर्श) ₹ 528.36 लाख कम दर्शाई गई और साथ ही आय इतनी ही कम दर्शाई गई।

(26) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान, चंडीगढ़

i) रोगी अनुदानः 927.36 लाख

उपरोक्त में पैकेज प्रभार (हृदयरोग विभाग ₹ 9.72 लाख, स्त्री रोग विभाग ₹ 4.78 लाख और नेत्र विज्ञान विभाग ₹ 62.65 लाख) हेतु प्राप्त ₹ 77.15 लाख की धनराशि सम्मिलत है जिसे संस्थान की आय के रूप में मानना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप देयता (रोगी अनुदान) को ₹ 77.15 लाख अधिक दर्शाया गया और साथ ही साथ आय और समग्र/ पूंजीगत निधियों को इतना ही कम दर्शाया गया।

ii) कार्य हेतु जमा- चण्डीगढ़ आवासीय बोर्ड को जमा- ₹ 990.76 लाख

इसमें चण्डीगढ़ आवासीय बोर्ड (चं.आ.बो.) को 32 टाईप-IV और 64 टाईप-III आवास के निर्माण हेतु जमा किए गए ₹ 487.22 लाख सम्मिलित हैं। इन आवासों को स्न.सं. प्राधिकारियों द्वारा च.आ.बो. से क्रमशः 05.07.2005 और 11.07.2009 को सभी प्रकार से पूर्ण स्थिति में लिया गया। तदनुसार इस धनराशि को पूंजीकृत न करने के परिणामस्वरूप च.आ.बो. के पास जमा ₹ 487.22 लाख अधिक और स्थायी परिसम्पत्तियों को इतना ही कम दर्शाया गया।

(27) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति

i) चालू परिसम्मपत्तियॉ ऋण, और अग्रिम 29.65 करोड़ - (अनुसूची 5)

इसमें के.लो.नि.वि. द्वारा पूर्ण सूचित किए गए और सौंप दिए गए ₹ 12.97 करोड़ के निर्माण कार्यों के लिए जमा सम्मिलित हैं, जिन्हें पूंजी नही बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूंजी न बनाने से स्थायी परिसम्पित्तियों कम बताई गई और चालू परिसम्पत्तियों के अंतर्गत अग्रिमों को ₹ 12.97 करोड़ अधिक दर्शाया गया।

ii) आय - ₹ 26.18 करोड़

सहायता अनुदान लेखे संबंधी ₹ 9 करोड़ के निवेश मूल्य पर ₹ 33.52 लाख के प्रोदभूत ब्याज का लेखा-जोखा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आय/अधिशेष और चालू परिसम्पत्तियों को ₹33.52 लाख कम दर्शाया गया।

iii) वर्तमान देयताएँ और प्रावधान - ₹ 5.06 लाख (अनुसूची- 2 क)

इसमें नई पेंशन योजना के प्रति नियोक्ता के अंशदान के अनुरूप ₹ 14.56 लाख के प्रति देयता हेतु प्रावधान सम्मिलित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं को ₹ 14.56 लाख कम और अधिशेष को इतना ही अधिक दर्शाया गया।

(28) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

i) उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ : ₹ 7712.97 लाख (अनुसूची-3)

इसमें 2012-13 में प्राप्त हुए और उसी वर्ष पूंजीकृत किए गए कम्प्यूटरों के स्टॉक हेतु देय ₹ 82.53 लाख की देयता के प्रति त्रुटिपूर्ण प्रावधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹ 82.53 लाख अधिक दर्शाया गया।

ii) व्यय ₹ 77.29 करोड़

इसमें वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त ₹ 82.53 लाख मूल्य के कम्प्यूटरों पर प्रदत्त ₹ 24.76 लाख का मूल्यह्रास सम्मिलित है जिसे गलती से पूंजी बना दिया गया, जिससे व्यय/कमी को ₹ 24.76 लाख अधिक और समग्र/पूंजीगत निधि को इतना ही कम दर्शाया गया।

(29) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

स्थायी परिसम्पत्तियाँ - ₹ 206.24 करोड़ (अनुसूची-8)

इसमें शिक्षण संकाय को संस्वीकृत व्यावसायिक विकास भत्तों के अंश के रूप में क्रय किए गए लैपटॉप और कम्प्यूटर पेरिफेरल्स का ₹ 1,45,57,108/-का मूल्य सम्मिलित नहीं है, जिसे त्रुटिवश राजस्व व्यय मान लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों तथा अधिशेष और समग्र/पूंजीगत निधि को ₹ 1.45 करोड़ कम दर्शाया गया।

(30) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम, इत्यादि - ₹ 12.37 करोड़ (अनुसूची-11)

इसमें ₹ 63.35 लाख मार्च 2012 तक नर्मदा कालोनी, इन्दौर की सामान्य सुविधाएँ हेतु नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (न.घा.वि.प्रा.) से वसूली योग्य व्यय का अंश होने के कारण, सम्मिलित नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप चालू परिसम्पत्तियॉ, ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियों को ₹ 63.35 लाख कम और आय और व्यय लेखे में आय पर व्यय की अधिकता को इतना ही अधिक दर्शाया गया।

(31) डा. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम (अनुसूची-11)- ₹148.39 करोड़

इसमें अवधि जमाओं पर प्रोद्भूत ₹ 2.61 करोड़ की धनराशि सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 2.61 करोड़ कम दर्शाया गया।

(32) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, चैन्नई

स्थायी परिसम्पत्तियां

नई परिसम्पत्तियों के प्रापण/वर्तमान सुविधाओं के विस्तार के प्रति किए गए ₹ 24.37 लाख के व्यय को राजस्व व्यय में प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप राजस्व व्यय को ₹ 24.37 लाख अधिक और स्थायी परिसम्पत्तियों को इतना ही कम दर्शाया गया।

(33) केन्द्रीय शास्त्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चैन्नई

स्थायी परिसम्पत्तियां - ₹ 44.88 करोड़

2011-12 के दौरान क्रय किए गए कम्प्यूटरों तथा यू.पी.एस. के लिए 60% मूल्यह्रास के बजाय पूर्ण मूल्यह्रास प्रदान किया गया, जैसा कि लेखाकरण नीति में प्रकट किया गया है, जो ₹ 29.04 लाख निकाला गया। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹ 29.04 लाख कम और मूल्यह्रास इतना ही अधिक दर्शाया गया।

(34) विश्वेश्वरेया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर

स्थायी परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची 8) - ₹ 121.99 करोड़

इसे 2010-11 में प्रदान किए गए पुस्तकालय भवन हेतु मूल्यह्रास के दो बार प्रावधान के कारण ₹ 30.47 लाख कम दर्शाया गया।

(35) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.नि.)

चिकित्सा लाभ (अनुसूची- 'क')- ₹ 2689.62 करोड़

दिल्ली और अन्य राज्यों में स्थित विभिन्न औषधालयों व चिकित्सालयों हेतु वर्ष 2011-12 के दौरान मशीनरी तथा चिकित्सा उपकरण के प्रापण पर किया गया ₹ 89 करोड़ का व्यय पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹ 89 करोड़ कम और राजस्व व्यय को इतना ही अधिक दर्शाया गया है।

(36) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

ब्याज उचंत खाता (अनुसूची-VI)

क.भ.नि.सं. ने 2011-12 के दौरान क.भ.नि. अंशदाताओं के 16.62 करोड़ लंबित लेखे का अद्यतनीकरण किया। 1.4.2011 को ब्याज उचंत खाते (ब्या.उ.खा.) में उपलब्ध ₹ 22461.14 करोड़ के अधिशेष के प्रति क.भ.नि.सं. ने 2011-12 में ₹ 23145.81 के ब्याज के जमा सहित ₹ 23797.26 करोड़ का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ब्या.उ.खा. में ₹ 1336.12 करोड़ का ऋणात्मक शेष हुआ।

तुलन-पत्र में ₹ 1336.12 करोड़ का ऋणात्मक शेष दर्शाने के परिणामस्वरूप कुल देयताओं और परिसम्पत्तियों को कम दर्शाया गया।

क.भ.नि. सदस्य के खाते में जमा किए गए ₹ 23145.81 करोड़ के ब्याज का विवरण/अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध न होने के कारण इस धनराशि की सत्यता पर राय कायम करना कठिन है।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2012 तक क.भ.नि. अंशदाताओं के ₹ 38.74 लाख खातों को अद्यतनीकृत करना लम्बित था। इनका अद्यतनीकरण होने से 31 मार्च 2012 को ऋणात्मक शेष और अधिक बढ जाएगा और इसके परिणामस्वरूप अगले वर्ष में दर्ज किए जाने वाले ब्याज की धनराशि में कमी होगी। अद्यतन न किए गए खातों की संख्या, मूलधन और उस पर ब्याज का हिसाब नहीं किया गया था और लेखाओं में प्रकट नहीं किया गया था।

(37) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

i) भा.कृ.अ.प. के स.भ.नि./अं.भ.नि. के लेखे

तुलन पत्र में परिसम्पत्तियों की और ₹ 51.20 करोड़ की धनराशि को बकाया स.भ.नि. अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अनुसूची 1- स.भ.नि. अंशदान और उस पर ब्याज का हिसाब अंशदाताओं को प्रदत्त स.भ.नि. अग्रिम को निवल जोड़ निकालकर किया गया। इसके कारण परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया।

(ii) आरक्षित

भा.कृ.अ.प. ने पिछले खातों के अंतर को समायोजित करने हेतु स.भ.नि. की आरक्षित से ₹ 117.84 करोड़ की धनराशि घटाई। खाता टिप्पणियों में कोई विवरण नहीं दिया गया।

(38) रेल भूमि तथा विकास प्राधिकरण (रे.भू.वि.प्रा.)

तुलन-पत्र/देयताएँ

पूंजीगत/कोर्पस निधि- ₹ 52.97 करोड़

रे.भू.वि.प्रा. (गठन) नियमावली 2007 के नियम 16(3) के अनुसार प्राधिकरण को एक पृथक खाता रखना चाहिए जिसमें प्राधिकरण की परियोजनाओं में से सभी अर्जन, रॉयल्टी, रियायत शुल्क, अनुज्ञप्ति शुल्क सहित तथा लाभों को दर्ज किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पूर्णतः केन्द्र सरकार को पारित कर दिया जाएगा।

जब्त रकम की ₹ 44.29 करोड़ की धनराशि रे.भू.वि.प्रा. द्वारा रख ली गई और उस पर ब्याज रेल मंत्रालय की ओर से प्राप्त कर लिया गया और इसे रेल मंत्रालय को हस्ताक्षरित नहीं किया गया, जैसा कि ऊपर उद्‌घृत नियम में अपेक्षित है।, उपरोक्त धनराशि में से ₹ 40.51 करोड़ पिछले वर्ष से संबंधित है। यह धनराशि वास्तव में रेल मंत्रालय को देय थी और इसे तुलन-पत्र में देयताओं की ओर रेलवे को हस्ताक्षरण योग्य निधियाँ शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था परंतु इसे प्राधिकरण द्वारा शीर्ष पूंजीगत/समग्र निधि में दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप रेलवे को हस्ताक्षण योग्य निधि ₹ 44.29 करोड़ कम और समग्र निधि इतनी ही अधिक दर्शाई गई।